# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

**अपील संख्या :– 299/2023**

किरण शेखर **–अपीलार्थी**

**बनाम**

1. शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर।

**–प्रत्यर्थीगण**

**प्रस्तुतिकरण की दिनांक** : 17.01.2023
**आदेश की दिनांक** : 03.02.2023

**उपस्थित –**
**अपीलार्थी की ओर से** : श्री सलीम खान, अधिवक्ता

**समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)**
**चेतन राम देवड़ा, सदस्य**

## आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का यह तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में नर्सिंग अधिकारी के पद पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बहादुरपुर, अलवर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 27.12.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बहादुरपुर, अलवर से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, देतानी, बाड़मेर 700 कि.मी. दूर किया गया। स्थानान्तरण आदेश में अपीलार्थी का नाम किरण अंकित किया गया है, जबकि अपीलार्थी का सहीं नाम किरण शेखर है (अनुलग्नक–2)। अपीलार्थी का तीन साल का छोटा बच्चा है, जिसकी देखभाल की जिम्मेदारी पूर्णतया अपीलार्थी की है। उनका तर्क है कि उक्त नियम के तहत् एक जिले से दूसरे जिले में अपीलार्थी का स्थानान्तरण पंचायती राज विभाग की पूर्व स्वीकृति/सहमति से ही किया जा सकता है। अपीलार्थी की सेवाएं पंचायतीराज को स्थानान्तरित गतिविधियों से संबंधित अंतरित कार्मिक है और आक्षेपित आदेश राजस्थान पंचायती राज (अन्तरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8 (iii) के उल्लंघन में है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 27.12.2022 (अनुलग्नक–1) को अपास्त किया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को निरन्तर नर्सिंग अधिकारी के पद पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बहादुरपुर, अलवर में कार्य करने दिया जावे।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

अपील के इस प्रकरण में अपीलार्थी का मुख्य आक्षेप है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण पंचायती राज विभाग की सहमति के बिना किया गया है। प्रकरण से संबंधित रिकार्ड, तथ्यों एवं संबंधित आदेशों/निर्देशों की स्थिति से यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान में राजस्थान सरकार मंत्रिमण्डल सचिवालय द्वारा जारी विज्ञप्ति क्रमांकःप. 11(1)मं.मं./2008 दिनांक 22.11.2021 के द्वारा राज्य सरकार ने विभागों का वितरण करते हुए प्रत्येक मंत्री को उसके नाम के सम्मुख अंकित विभागों का कार्यभार सौंपा है, जिसमें पंचायती राज के अधीनस्थ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का स्वतंत्र प्रभार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री को ही सौंपा गया है। राजस्थान पंचायती राज (अन्तरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम–8(iii) के अनुसार स्वीकृति/सहमति पंचायती राज विभाग से ली जानी होती है, इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एसबी सिविल रिट पिटिशन संख्या 8828/2022 रविन्द्र कुमार टेलर बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.09.2022 में यह माना गया है कि "as the Division Bench has approved the transfers, on account of consent granted by the Minsiter for Medical and Health Services, Government of Rajasthan, who has been given independent charge of Medical and Health services under the Panchayati Raj Department, which has been held as sufficient, the same would suffice." ..... "Further, the said consent can only suffice in cases of inter-district transfers in terms of Rule 8(iii) of the Rules of 2011, which requires consent of the Panchayati Raj Department for effecting inter district transfers."

इसी प्रकार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एसबी सिविल रिट पिटिशन संख्या 10769/2022 हीरालाल ताबीयार बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 27.09.2022 में यह माना गया है कि "that The respondents are under obligation to comply with the provisions of Rule 8(iii) of the Rules of 2011 and are required to specifically seek approval of the concerned minister, even if the minister is same for both the Departments"

इसके अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी. बी. स्पेशल अपील रिट संख्या 284/2022 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम रेखा कुमारी में पारित आदेश दिनांक 17.08.2022 में राजस्थान पंचायती राज (अन्तरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8(iii) की पालना हेतु राज्य सरकार के विभाग द्वारा की गई कार्यवाही को पर्याप्त माना जाकर राज्य सरकार की अपील स्वीकार की गई है। इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एसबी सिविल रिट पिटिशन संख्या 8828/2022 रविन्द्र कुमार टेलर बनाम राजस्थान राज्य व अन्य, एसबी सिविल रिट पिटिशन संख्या 10796/20022 तथा डीबी स्पेशल अपील रिट संख्या 284/2022 में पारित आदेशों में यह माना गया है कि राजस्थान

पंचायती राज (अन्तरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8(iii) की पालना हेतु पंचायती राज के अधीनस्थ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (स्वतंत्र प्रभार) मंत्री (Minister) का अनुमोदन होना आवश्यक है। इस प्रकार एक जिले से दूसरे जिले में किए जाने वाले स्थानांतरणों के लिए अनुमोदन हेतु सक्षम स्तर पंचायती राज के अधीनस्थ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (स्वतंत्र प्रभार) मंत्री (Minister) है। यह उल्लेखनीय है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी॰बी॰ स्पेशल अपील रिट संख्या 284/2022 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम रेखा कुमारी में यह निर्णीत नहीं किया गया है कि प्रत्येक आलोच्य स्थानांतरण आदेश में यह अनिवार्य (Mandatory) रूप से लिखा ही जावे कि पंचायतीराज के अधीनस्थ चिकित्सा एवं स्वास्थ विभाग (स्वतंत्र प्रभार) मंत्री (Minister) स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर स्थानांतरण आदेश जारी किए गए हैं। अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा डी बी स्पेशल अपील रिट संख्या 284/2022 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम रेखा कुमारी में प्रत्येक आलोच्य स्थानांतरण आदेश में पंचायतीराज के अधीनस्थ चिकित्सा एवं स्वास्थ विभाग (स्वतंत्र प्रभार) मंत्री (Minister) से अनुमोदन प्राप्त करने के संबंध में प्रत्येक स्थानांतरण आदेश में उल्लेख किए जाने के निर्देश नहीं है, वरन् उक्तानुसार मंत्री (Minister) का अनुमोदन होना पर्याप्त माना है। आलोच्य स्थानांतरण आदेश में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है। अपीलार्थी द्वारा भी ऐसा कोई रिकार्डेड साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि आलोच्य आदेश के संबंध में पंचायती राज के अधीनस्थ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (स्वतंत्र प्रभार) मंत्री (Minister) से अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया है। जब पंचायती राज विभाग के अधीनस्थ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य का स्वतंत्र प्रभार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री के पास ही है, ऐसी स्थिति में उपर्युक्त समस्त विवेचन को दृष्टिगत रखते हुए प्रथम दृष्टया राजस्थान पंचायती राज (अन्तरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8 (iii) के उल्लंघन की स्थिति प्रतीत नहीं होती है। अतः ऐसी स्थिति में बिना प्रत्यर्थी विभाग को सुने एक पक्षीय अन्तरिम स्थगन आदेश पारित किया जाना न्यायोचित नहीं है।

प्रत्यर्थीगण को दिनांक ..... के जवाब अपील एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र में नोटिस जारी हो।

अपीलार्थी अथवा उनके विद्वान् अभिभाषक के द्वारा दो सप्ताह में प्रत्यर्थीगण के नोटिस एवं अपील, मय प्रलेख की प्रति, प्रस्तुत किये जावें। नोटिस प्रस्तुत होने पर प्रत्यर्थी के नोटिस अपीलार्थी के अभिभाषक को दस्ती दिये जावें।

पत्रावली दिनांक ..... वास्ते जवाब एवं तामील समक्ष रजिस्ट्रार पेश हो।

**(चेतन राम देवड़ा)**
**सदस्य**

**(अनन्त भंडारी)**
**सदस्य (न्यायिक)**